दि० 20.4.18

[illegible] प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारे पैरोकार उप० / [illegible] प्रार्थी ने संशोधित अनवान मूल अपील प्रकरण सं 3/2017 में पेश किया है। अतः यह पत्रावली मूल अपील के रूप में [illegible] हल्कीवाड़ा में दि० 4.6.18 को पेश है।

दि० 4.6.2018 राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्यार्थी राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने के हित से यह पत्रावली न्याय मार्च 2018 के तहत [illegible] सेवा केन्द्र हल्कीवाड़ा में पेश हुई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट को जारी नोटिस वाकिल शुदा प्राप्त होने से मूल अपील पत्रावली के रूप में [illegible] किये गये। सुनवाई के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा सरपंच ग्रा०पं० हल्कीवाड़ा व स्टेट वकील [illegible] सिरोही उपस्थित होकर मौखिक बहस करने से मौखिक बहस सुनकर उस पर शांतिपूर्वक से मनन किया। विद्वान प्रकरण की इस पत्रावली का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थी को अपने नामान्तरण आवेदन करने की जानकारी प्रथम बार पटवारी से [illegible] में [illegible] निष्पादन से दि 21.4.2017 को हुई तथा प्रार्थी ने बिना देरी यह अपील पेश की है। दूसरा कारण यह कि प्रार्थी अपने आजीविका हेतु व्यवसाय के लिये सूरत में निवासरत होने की वजह से प्रार्थी को उक्त नामान्तरण सं. 236 दि० 6.4.2015 की कोई जानकारी नहीं थी। इसमें प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई कूटरचित या लापरवाही नहीं थी। अतः प्रार्थी का अपील पेश करने का सद्भाव उचित कारण होने से अपील पेश करने में हुई देरी का कारण का माफ किया जाकर अपील को मय मियाद लिया जाता है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी [illegible] 5 [illegible]